प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

“Refresher Course for Police Inspectors”

दिनांक **01-07-2019** से **05**-07-2019

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 01-07-2019 से 05-07-2019 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 29 पुलिस निरीक्षकगण ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:45 AM तक परिचय और पंजीकरण, प्रथम सत्र में श्री के. सी. जाट, डीआईजी, आरपीए ने रिपोर्ट लेखन, संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग, पावरपॉइंट प्रस्तुति एवं तनाव प्रबंधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्रीमती रानू शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सामुदायिक पुलिस, ने सामुदायिक पुलिसिंग, छात्र पुलिस कैडेट परियोजना, पुलिस मित्र पर अपना व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनिवार्य प्रावधानों और अन्वेषण में क्या करें और क्या न करें पर विस्तृत रूप से बताया।

द्वितीय दिन एवं चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में डॉ0 सुमन राव, पी.ओ. आरपीए ने घरेलु हिंसा अधिनियम, कार्य रूथल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, पोक्सो अधिनियम, 2015, 166ए आईपीसी, पीडित प्रतिकर पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री बी.एस. चौहान, एडवोकट द्वारा अदालत में

सबूत देन की कला पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्री कान सिंह, हैड कानि0, आरपीए ने पम्प एक्शन, गन, हेलमेट एवं हेलमेट कैमरे के उपयोग पर चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में प्रोफेसर श्री रमेश अरोडा ने पुलिस व्यवहार में सुधार के परिपेक्ष्य में प्रशंसा की कला और आलोचना के विज्ञान विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। द्वितीय सत्र में श्रीमती परम ज्योति, आईपीएस, निदेशक, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर ने मानसिक स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में डॉ. राजेश कुमार, ए.डी. (सीरोलॉजी एंड डीएनए) ने अन्वेषण में डीएनए की भूमिका और प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री गजेन्द्र सिंह, एस.आई. साइबर थाना ने डिजिटल साक्ष्य, फाइल, हैश, आईपी पता, ईमेल, एफबी, पर रोक की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की। अन्तिम सत्र में डॉ0 महेंद्र पिपलीवाल, एडीपी, आरपीए ने साक्ष्य संग्रह और केस अध्ययन पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर. एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों के अन्वेषण पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 05.07.2019 को 04.00 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह, अति.पु.अ. (सीडीपीएसएम) द्वारा पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। श्री मनीष अग्रवाल, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा।